भारत सरकार
महिला और बाल विकास मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 4209
दिनांक 20 दिसम्बर, 2024 को उत्तर देने के लिए

महिला शक्ति केंद्र योजना

4209. श्री ओमप्रकाश भूपालसिंह उर्फ पवन राजेनिंबालकर:

क्या **महिला और बाल विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
(क) विगत पांच वर्षों के दौरान महिला शक्ति केंद्र योजना के अंतर्गत आवंटित निधियों का राज्यवार ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या उक्त योजना आकांक्षी जिलों में भी लागू कर दी गई है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या कई राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को वर्ष 2017 में शुरू की गई उक्त योजना के अंतर्गत निधियां प्राप्त नहीं हुई हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;
(घ) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कई राज्य और संघ राज्य क्षेत्र इस योजना के अंतर्गत कार्यरत कर्मचारियों को भुगतान करने में विफल रहे हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;
(ड.) क्या भारत की जनगणना, 2011 के अनुसार सभी जिलों में उक्त योजना के अंतर्गत जिला स्तरीय केंद्रों को स्वीकृति प्रदान की गई है; और
(च) यदि हां, तो इस संबंध में विशेष रूप से महाराष्ट्र के एक आकांक्षी जिले उस्मानाबाद के संबंध में ब्यौरा क्या है?

उत्तर
महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री
(श्रीमती सावित्री ठाकुर)

(क) से (च): महिला शक्ति केंद्र (एमएसके) योजना को सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में नवंबर,

2017 में अनुमोदित किया गया था। एमएसके योजना का एक तृतीय पक्ष मूल्यांकन अध्ययन 2020 में नीति आयोग द्वारा आयोजित किया गया था। मूल्यांकन के निष्कर्षों को ध्यान में रखते हुए और राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों और हितधारकों से परामर्श के बाद इस योजना को 01.04.2022 से बंद कर दिया गया था और जैसा कि योजना के तहत राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा दावा की गई 31.03.2022 तक की देनदारियों को भी जारी/निपटाया गया है।

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय दिनांक 01.04.2022 से 'मिशन शक्ति' नामक व्यापक योजना अब लागू कर रहा है जिसका उद्देश्य महिला सुरक्षा, संरक्षण और सशक्तिकरण के लिए कार्यकलापों को मजबूत करना है। मिशन शक्ति के दो वर्टिकल 'संबल' और 'समर्थ्य' हैं।

"संबल" वर्टिकल महिलाओं की सुरक्षा और संरक्षण के लिए है। इसमें वन स्टॉप सेंटर (ओएससी), महिला हेल्पलाइन (डब्ल्यूएचएल), बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ (बीबीबीपी) और नारी अदालत जैसी योजनाएँ शामिल हैं।

"समर्थ्य" वर्टिकल महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए है। इसमें प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (पीएमएमवीवाई), शक्ति सदन, सखी निवास, पालना और संकल्प: हब फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वीमेन (एचईडब्ल्यू) योजनाएं शामिल हैं ।

*****